

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 138] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 9, 1979/आषाढ़ 18, 1901
No. 138] NEW DELHI, MONDAY, JULY 9, 1979/ASADHA 18, 1901

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना संख्या-45 इटीसी(पीएन)/79

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1979

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय :—मानव अस्थि पत्र का निर्यात ।

[मिसल संख्या-49/1/79-ई-2].—1979-80 की निर्यात नीति पुस्तक के पृष्ठ-11 पर नीति विवरण की संख्या ख-13(2) के सामने के कालम, 3 में यथा संकीर्ण मानव अस्थि पत्रों की निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. यह निश्चय किया गया है कि अधिप्राप्ति के स्वतंत्र सम्बन्धित पुलिस प्राधिकारियों से प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्र में भार या संख्या में मात्रा का संकेत होना चाहिए

ऑर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा निर्यात की अनुमित केवल प्रमाण-पत्र में उल्लिखित सीमा तक ही दी जाएगी।

सी. वेंकटरमन, मुख्य निर्यात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE NO. 45-ETC(PN)/79

New Delhi, the 9th July, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

Subject —Export of Human Skeltons.

File No. 49/1/79-E. II.—Attention is invited to export policy of Human Skeltons as indicated in Col. 3 against S. No. B. 13(ii) of Policy statement at page 11 of Export Policy Book 1979-80.

2 It has been decided that the certificate produced from the Police Authorities regarding the source of procurement should also indicate the quantity by weight or by number and the export will be allowed by the licensing authorities only to the extent mentioned in the Certificate.

C VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports & Exports